रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 24, 1971/आषाढ़ 3, 1893

No. 82] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 1971/ASADHA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th June 1971

SUBJECT.—*Import policy for Registered Exporters for the year April, 1971—March, 1972 (Amendment No. 6.)*

No. 65-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contain ed in the Import Trade Control Policy Book Volume II for the period April 1971—March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44—ITC (PN)/71 dated 30-4-1971.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments
92 . .	A.66.9 Col. 5.	The following may be added to the existing remarks in col. 5:— "The restriction of Rs. 25/- or more per K.G. will not be applicable in the case of exports of non-ferrous (other than aluminium) locks, padlocks and hinges".
289-290 . .	X.1.1 Col. 5.	After the existing remark (3) the following remarks may be inserted :— "(4) For every Kg of nylon yarn used in the blended products exported, manufacturer-exporters exporting these goods will receive replenishment at the rate of 1·20 Kg of imported nylon yarn from the S.T.C.".

NOTE : This provision will be applicable to exports made on or after 1-4-1971.

Sd/-

विदेश व्यापार मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 24 जून, 1971

विषय.—अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति (संशोधन संख्या 6)

सं० 65-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या-44 आई० टी०सी० (पीएन)/71, दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971-मार्च 1972 के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ट संख्या	संदर्भ	संशोधन
92	ए० 66-9 कालम 5	कालम 5 में वर्तमान टिप्पणी के साथ निम्नलिखित को जोड़ा जाए:— "अलौह (एल्युमिनियम से भिन्न) तालों, पैडलाक्स कबजों के मामले में 25 रुपये अथवा इससे अधिक प्रति कि० ग्रा० की प्रतिबन्धता लागू नहीं होगी ।"

रैडबुक (वा० ?) की संदर्भ पृष्ठ संख्या		संशोधन
289–290	एक्स० 1–1 कालम 5	वर्तमान टिप्पणी (3) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए :— "(4) निर्यातित मिश्रित उत्पादों में प्रयोग किए जाने वाले नाइलोन यार्न के प्रत्येक कि० ग्रा० के लिए निर्माता-निर्यातक जो इस प्रकार के माल का निर्यात कर रहे हैं, उन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नाइलोन यार्न के 1.20 कि० ग्रा० के हिसाब से आपूर्ति दी जाएगी।"

टिप्पणी—1–4–1971 को अथवा इसके बाद किए गए निर्यातों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी।

SUBJECT.— *Import policy for Registered Exporters for the period April, 1971—March, 1972 (Amendment No. 7)*

No. 66-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the import policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April, 1971—March, 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44—ITC (PN)/71 dated 30-4-1971.

2. The following amendment may be made at the appropriate place as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
274	Q.10	After the existing entry at Q.10, the following new entry may be added: Under columns 1 to 4 :—

1	2	3	4
Q.11	Semi-finished stainless steel blades in coils.	See general Note (1)	Stainless steel of specification as required (1·30 kg).

NOTE : This amendment will be applicable to exports made on or after 1-4-1971.

3. Consequent to the above amendment, the entry "Semi-finished stainless steel blades in coils..... Q. 11" may be inserted alphabetically at the appropriate place in the Index of the above Red Book under the Product group "Q. STAINLESS STEEL PRODUCTS."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति (संशोधन संख्या 7)

सं० 66 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उचित स्थान पर किए जाएं —

रेडबुक (वा०-2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
274	क्यू० 10	क्यू० 10 पर की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि को कालम 1 से 4 के अन्तर्गत जोड़ा जाए —

1	2	3	4
क्यू० 11	लच्छों में अर्धनिर्मित जगावरोधी इस्पात ब्लेडें	सामान्य सूचना (1) देखें।	मांगे गए के अनुसार विशिष्ट विवरण के जगावरोधी इस्पात (1 30 किलोग्राम)

टिप्पणी—यह संशोधन 1-4-1971 को या उसके बाद में किए गए निर्यातों के लिए लागू होगा।

3. उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप प्रविशिष्ट "लच्छों में अर्धनिर्मित जगावरोधी इस्पात ब्लेडें —क्यू 11" को उपर्युक्त रेडबुक के सूचक में उत्पाद वर्ग "क्यू जंगावरोधी इस्पात उत्पाद" के अन्तर्गत वर्णक्रमानुसार उचित स्थान पर शामिल किया जाए।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971